न्यायालय सहायक कलक्टर रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार, आ.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 332/21

:– रामराज पुत्र श्री हुक्मीराम, उम्र 35 वर्ष, जाति जाट, निवासी डांगावास, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

वादी :– 1. तहसीलदार, रियांबड़ी।

दावा घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनिय

निर्णय

दिनांक :– 12/09/24

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी चेनाराम गुगरवाल ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि मौजा लीलियां की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 271 रकबा 0.3200 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि, खसरा नंबर 1886 रकबा 1.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1887 रकबा 1.6800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1888 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1889 रकबा 0.9300 हैक्टेयर कुल रकबा 4.5100 हैक्टेयर में से 1/12 हिस्सा तथा खसरा नंबर 1119 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1120 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल रकबा 0.0200 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा की भूमि मोतीराम पुत्र मोहनराम जाति जाट निवासी लीलियां तहसील रियांबड़ी जिला नागौर के कब्जा काश्तसुदा थी। मोतीराम जी द्वारा वादी की सेवा चाकरी से खुश होकर उक्त खसरान की भूमि का वसीयतनामा दिनांक 09.05.2021 को तकमील कर दिया तथा वसीयतनाम में दो साक्षीगण के हस्ताक्षर करवाये और यह वसीयत मोतीराम की प्रथम व अंतिम वसीयत थी। इससे पूर्व मोतीराम जी ने कोई वसीयत नही की थी। मोतीराम का स्वर्गवास हो गया है। मोतीराम के स्वर्गवास के क्षण ही उक्त खसरान की भूमि में वादी को हक व अधिकार प्राप्त हो गये है तथा मोतीराम के स्वर्गवास के बाद वादी व मोतीराम की पुत्रीयों ने उनके स्वर्गवास के समय उनके सारे सांसारिक कार्यक्रम, गंगा प्रसादी व अन्य सम्पूर्ण खर्चा वहन किया गया था। इस प्रकार उक्त खसरान की भूमि में वादी को सम्पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त हो चुके है। मौजा लीलियां की सरहद के खेत खसरा नम्बर 271 रकबा 0.3200 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि, खसरा नम्बर 1886 रकबा 1.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1887 रकबा 1.6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1888 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1889 रकबा 0.9300 हैक्टेयर कुल रकबा 4.51 हैक्टेयर में से 1/12 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 1119 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरानम्बर 1120 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल रकबा 0.0200 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा की भूमि वादी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है। वादी ने उक्त खसरान की भूमि का वसीयतनामा के आधार पर प्रतिवादी को नामान्तरकरण भरने का कहा तो प्रतिवादी ने कुछ दिनों तक तो आश्वासन देते रहे और अब इंकार हो गये और कहा कि न्यायालय का आदेश लेकर आओ, जिससे वादी उक्त खसरान की खातेदारी घोषित करवाने हेतु यह खातेदारी घोषणा का वाद पेश कर रहा है। उक्त खसरान की भूमि में वादी के अलावा अन्य किसी का कोई हक व अधिकार नही है और वादी अपनी भूमि पर काश्त व काबिज चला आ रहा है। मगर अभी तक वादी के नाम खातेदारी का इन्द्राज न होने से मोतीराम की पुत्री सेणी देवी के भी मन में बदयान्ति आ गयी है और वादी के हक व अधिकारों को चुनौती दे रही है जबकि उनका कोई हक व अधिकार नही है। जिससे वादी अपनी खातेदारी की भूमि के काश्त व कब्जे में अन्य कोई व्यक्ति किसी प्रकार की दखल व दस्तअंदाजी न तो स्वयं करे और ना ही किन्हीं अन्यों से करवावें। इस वजह से वादी यह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया। अतः वादी के वाद की इस्तदुआ माफिक वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

2. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से मौके की रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने यह रिपोर्ट दी कि उक्त खसरान की भूमि मोतीराम पुत्र मोहनराम की राजस्व रेकर्ड के अनुसार खातेदारी की जरूर है और मोतीराम का स्वर्गवास हो चुका है और उक्त खसरान का वसीयतनामा दिनांक 09.05.2021 को वादी के हक में दिनांक 09.05.2021 को कर दिया है और रिपोर्ट प्रस्तुत हुई।

3. यह है कि वादी ने अपनी साक्ष्य में स्वयं वादी व रामकरण, ओमप्रकाश के बयान कलमबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 से 3 जमाबंदी, प्रदर्श– 4/1 मोतीराम का मृत्यु प्रमाण, प्रदर्श–5/1 वसीयतनामा व स्वअर्जित के संबंध बेचाननामा की फोटो प्रतियां पेश की गई।

4. विद्वान वकील वादी की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि वाद में बताये खसरान की भूमि मोतीराम की स्वअर्जित भूमि थी और मोतीराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 09.05.2021 को वादी के हक में वसीयत तकमील की गई और वसीयतनामा पर रामकरण व ओमप्रकाश के गवाह के रूप में हस्ताक्षर करवाये तथा उक्त वसीयत मोतीराम की प्रथम व अंतिम वसीयत थी और मोतीराम का स्वर्गवास दिनांक 11.05.2021 को हो जाने से उक्त वर्णित खसरान की भूमि में वादी को मोतीराम के मृत्यु के क्षण सारे हक व अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा वादी अपने वाद के समर्थन में गवाह स्वयं वादी उपस्थित हुआ तथा वसीयतनामा में तकमील गवाह रामकरण व ओमप्रकाश के बयान कलमबद्ध करवाये गये तथा न्यायालय में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाये गये। वादी के वाद दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित है। जिससे वाद में बताये खसरान की भूमि वादी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद घोषित फरमायी जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त खसरान की भूमि का मोतीराम ने अपने जीवनकाल में ही वादी को वसीयत कर दिया था और उक्त वसीयत प्रथम व अंतिम थी, जो गवाहान व प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित होता है तथा प्रतिवादी की रिपोर्ट ली गई, जिसमें भी मोतीराम की भूमि होना बताकर वादी के हक में वसीयतनामा तकमील होना बताया गया। इस प्रकार मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य व तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

अतः समस्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि

आदेश

6. मौजा लीलियां की सरहद के खेत खसरा नम्बर 271 रकबा 0.3200 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि, खसरा नम्बर 1886 रकबा 1.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1887 रकबा 1.6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1888 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1889 रकबा 0.9300 हैक्टेयर कुल रकबा 4.51 हैक्टेयर में से 1/12 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 1119 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1120 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल रकबा 0.0200 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा की भूमि वादी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद भूमि घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें तथा उक्त खसरान की भूमि में वादी के काश्त, कब्जा, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करे।

7. डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार रियांबड़ी यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्य आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो तो निर्णय व डिक्री के अनुसार राजस्व रेकर्ड में खातेदारी का इन्द्राज किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही नंबर से कम करते हुए दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/09/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार
उपखण्ड अधिकारी,
रियांबड़ी

उपखण्ड अधिकारी
जिला–नागौर